



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या : 4170-मा०सं०-01/वि०उ०नि०लि०/2015-7(1)मा०सं०-01/2007 (टीसी)

दिनांक : 31 दिसम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा निदेशक मण्डल के कार्यान्वयन अनुमोदन की प्रत्याशा में श्री एच०पी० वर्मा, अपर सचिव एवं महाप्रबन्धक (मा०सं०-01/06) को उनकी दिनांक 31-12-2015 को सेवानिवृत्ति के पश्चात् उत्पादन निगम मुख्यालय में निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) के नियन्त्रणाधीन कार्यकारी अपर सचिव (मा०सं०-01/06) के रूप में संविदा पर निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों के अधीन सेवायोजित किया जाता है :-

- i- श्री एच०पी० वर्मा की संविदा सेवा अवधि दिनांक 01-01-2016 से दिनांक 31-03-2016 तक 03 (तीन) माह के लिए होगी। कार्यहित की अपेक्षाओं के दृष्टिगत इस अवधि में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि भी की जा सकती है।
- ii- निगमादेश सं० 5577-मा०सं०-01/वि०उ०नि०लि०/2014 दिनांक 29.12.2014 के प्राविधानानुसार रू० 65,000/- (रूपये पैंसठ हजार मात्र) एक मुश्त प्रतिमाह की दर से अथवा जैसा समय-समय पर संशोधन हो, के अनुसार देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई पारिश्रमिक/भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
- iii- श्री एच०पी० वर्मा, कार्यकारी अपर सचिव (मा०सं०-01/06) के रूप में उन सभी कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे, जिन्हें वह अपर सचिव एवं महाप्रबन्धक (मा०सं०-01/06) के रूप में सेवानिवृत्ति के पूर्व कर रहे थे। इसी प्रकार वह महाप्रबन्धक (मा०सं०-01/06) को प्रदत्त समस्त अधिकारों का प्रयोग करने हेतु सक्षम होंगे।
- iv- श्री एच०पी० वर्मा, निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) को रिपोर्ट करेंगे तथा उनकी अनुमति से निगम के कार्यों हेतु बाहर की गयी यात्राओं के लिए उन्हें मुख्य अभियन्ता (स्तर-11) एवं समकक्ष के समान देय दर से यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा।
- v- श्री एच०पी० वर्मा को वाहन, दूरभाष एवं सीयूजी आदि की सुविधा निगम में नियुक्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-11) एवं समकक्ष के समतुल्य प्रदान की जायेगी।
- vi- कार्यावधि के अन्तर्गत श्री एच०पी० वर्मा को अनुमन्य समेकित राशि का भुगतान मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।
- vii- श्री एच०पी० वर्मा को अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभ यथावत् मिलते रहेंगे।
- viii- श्री एच०पी० वर्मा की संविदा सेवाओं को एक माह पूर्व सूचना पर कभी भी समाप्त किया जा सकता है।

ए०पी० मिश्र
प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 4170(1)मा०सं०-01/वि०उ०नि०लि०/2015-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर/निजी सचिव।

कमशः 2/-

- 3- मुख्य अभियन्ता, ओबरा/अनपरा/हरदुआगंज/पनकी/पारीछा तापीय विद्युत परियोजना, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, ओबरा (सोनभद्र)/अनपरा (सोनभद्र)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)/पारीछा (झाँसी)।
- 4- मुख्य अभियन्ता, तापीय परिचालन/ईंधन/वाणिज्य/पीपीएमएम/आर० एण्ड एम०/पर्यावरण एवं सुरक्षा, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (जानपद)/ (जानपद-नव परियोजनाएँ), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6- अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 7- मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 9- महाप्रबन्धक (लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 10- मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010.
- 11- उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता, (मा०सं०-01/02/03/04/05/06)/रिफॉर्म/तापीय परिचालन इकाई/टाण्डा वाइंडिंग सेल/प्रशिक्षण, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 12- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 13- मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), कैश प्रबन्धन इकाई, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 14- श्रीमती पूनम मिश्रा, सहायक अभियन्ता (डाटाबेस), सम्बद्ध उप महाप्रबन्धक (मा०सं०-01), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 15- अनुभाग अधिकारी (मा०सं०-06), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 16- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाईल।

आज्ञा से,



(सैय्यद यूसुफ हसन)
अनु सचिव (मा०सं०-01)